2023 का विधेयक संख्यांक 100.

[दि जम्मू एंड कश्मीर रिआर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 14 का संशोधन ।

2019 का 34

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 14 में,—

(i) उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों की शर्तों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से ही इस उपधारा के उपबंध उस प्रकार होंगे मानो अंक "107" के स्थान पर अंक "114" रखा गया था';

(ii) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(10) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची में, "II. संघ राज्यक्षेत्र" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :— 1950 का 43

1	2	3	4	5	6	7
"3. जम्मू-कश्मीर	90	7	9	90	7	9"।'

नई धारा 15क और 15ख का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

कश्मीरी विस्थापितों का नामनिर्देशन ।

'15क. धारा 14 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी-विस्थापितों के समुदाय से दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा जिनमें से एक महिला होगी ।'

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'विस्थापित' पद का वही अर्थ होगा जो जम्मू-कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण, करस्थम विक्रयों पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खंड (ङ) में उसका है । 1997 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम 16

विस्थापित व्यक्तियों का नामनिर्देशन ।

15ख. धारा 14 की उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से एक सदस्य जम्मू-कश्मीर विधान सभा में नामनिर्देशित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विस्थापित व्यक्ति" पद से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन की स्थापना किए जाने के कारण या सिविल उपद्रव या पाकिस्तान के वर्तमान अधिभोग में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के किसी क्षेत्र में ऐसे उपद्रवों के भय के कारण वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के दौरान ऐसे क्षेत्र में अपने निवास स्थान को छोड़ दिया है या उससे विस्थापित हो गया है और जो तत्पश्चात् ऐसे क्षेत्र से बाहर निवास करता रहा है तथा इसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति का हित-उत्तराधिकारी भी हैं।'

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) (अधिनियम) को, जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ।

2. अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में, तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में उग्रवाद के समय, 1989-90 में विशेष रूप से कश्मीर (डिवीजन) में, बड़ी संख्या में लोग कश्मीर प्रांत में अपने पैतृक निवास के स्थानों से, विशेष रूप से कश्मीरी हिंदू और पंडितों के साथ में, सिक्ख और मुस्लिम समुदायों से संबंधित कुछ परिवार भी विस्थापित हुए । प्रारंभ में सभी विस्थापित जम्मू चले गए थे । इसके पश्चात्, कुछ विस्थापितों ने देश के अन्य भागों में, अर्थात् दिल्ली, बैंगलुरू और पुणे जाना चुना । जम्मू-कश्मीर सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, वर्तमान में छियालीस हजार पांच सौ सत्रह ऐसे परिवार हैं जिसमें से एक लाख अठावन हजार नौ सौ छिहत्तर व्यक्ति जम्मू-कश्मीर सरकार के राहत संगठनों के पास रजिस्ट्रीकृत हैं, जो पिछले तीन दशकों की अवधि में रजिस्ट्रीकृत हुए हैं ।

3. जम्मू-कश्मीर में वर्ष 1947 के पाकिस्तानी आक्रमण के मद्दे नज़र, इकतीस हजार सात सौ उनासी परिवार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों से तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में विस्थापित हुए। इनमें से, छब्बीस हजार तीन सौ उन्नीस परिवार तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए और शेष पांच हजार चार सौ साठ परिवार जम्मू-कश्मीर से देश के अन्य भागों मे चले गए । इसके अतिरिक्त, वर्ष 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान, छंब नियाबत क्षेत्र से दस हजार पैंसठ और परिवार विस्थापित हुए थे । इनमें से, तीन हजार पांच सौ परिवार 1965 के युद्ध के दौरान विस्थापित हुए और छह हजार पांच सौ पैंसठ परिवार 1971 के युद्ध के दौरान विस्थापित हुए । अब तक, 1947-48, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान कुल इकतालीस हजार आठ सौ चवालीस परिवार विस्थापित हुए ।

4. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया करते समय, परिसीमन आयोग को "कश्मीरी-विस्थापितों" और "पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों" से भी उनके राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने और पहचान को बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में स्थानों के आरक्षण के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

5. परिसीमन आयोग ने, विषय पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात्, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में "कश्मीरी-विस्थापितों" और "पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों" के समुदायों का प्रतिनिधित्व नामनिर्देशन द्वारा करने की सिफ़ारिश की ।

6. अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में 24 स्थान पाकिस्तान के गैर-कानूनी दखल के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं । उक्त स्थान तब तक रिक्त रहेंगे जब तक पाकिस्तान के दखल वाले क्षेत्र का ऐसा दखल हटा नहीं दिया जाता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने

प्रतिनिधियों को नहीं चुन लेते हैं ।

7. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में "कश्मीरी- विस्थापितों" और "पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों" को प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 15 की तर्ज पर दिया जाएगा जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व का उपबंध करता है ।

8. इसके अतिरिक्त, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर, परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की, विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में आदेश प्रकाशित किए हैं । इन आदेशों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ स्थानों के आरक्षण सहित, स्थानों की संख्या में 107 से 114 की वृद्धि हुई है । इस प्रकार अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) और उपधारा (10) में पारिणामिक संशोधन अपेक्षित हैं ।

9. अधिनियम, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में "कश्मीरी-विस्थापितों", "पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों" और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि उनके राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ उनका सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके ।

10. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :---

(i) अधिनियम में नई धारा 15(क) और धारा 15(ख) का अंत:स्थापन करना ताकि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में "कश्मीरी-विस्थापितो " के समुदाय मे से दो से अनधिक सदस्यों को नामनिर्देशित किया जा सकेगा जिनमें से एक महिला होगी और "पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों" में से एक सदस्य होगा; और

(ii) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) और उपधारा (10) का संशोधन करना जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने को ध्यान में रखते हुए परिणामी है ।

11. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 जुलाई, 2023

अमित शाह

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है, तो इसमें भारत की संचित निधि में से कोई आवर्ती या अनावर्ती वित्तीय व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

उपाबंध

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * * *

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधान सभा और उसका गठन ।

14. (1) * * * * *

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक सौ सात होगी ।

* * * * * *

(10) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, "2. संघ राज्यक्षेत्र" शीर्षक के अन्तर्गत,—

(क) प्रविष्टि 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"3. जम्मू-कश्मीर	83	6	...	83	6	..."

* * * * * *